प्रेषक,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त संयुक्त विकास आयुक्त/
मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।

पत्रांकः – 321 /बैठक सेल(मु0)/2010–11 :: लखनऊः दिनांक 5 नवम्बर–2011

विषय– मा0 ग्राम्य विकास मंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 11–11–2011 को मा0 मुख्यमंत्री के उच्च प्राथमिकता कार्यक्रमों व अन्य विभागीय कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया, अवगत कराना है कि मा0 मुख्यमंत्री की उच्च प्राथमिकता कार्यक्रमों व अन्य विभागीय कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक मा0 ग्राम्य विकास मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 11–11–2011 को आवास विकास परिषद स्थित सभा कक्ष, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ में पूर्वान्ह् 11.00 बजे से आहूत की गयी है। बैठक का एजेण्डा निम्न लिखित हैः–

1. ग्राम्य विकास के उच्च प्राथमिकता एवं अन्य विभागीय कार्यक्रमो की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा।
2. इन्दिरा आवास , एस0जीएस0वाई एवं डी.आर.डी.ए. प्रशासन के अन्तर्गत द्वितीय किश्त के प्रस्ताव भारत सरकार भेजने एवं धनराशि अवमुक्त कराने के सम्बन्ध में प्रगति की समीक्षा ।
3. मनरेगा के क्रियान्वयन में वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट पर अद्यावधिक की गयी कार्यवाही की समीक्षा । इस सम्बन्ध में जारी पत्र संख्या 4598/38–7–2011 दिनांक 4–11–2011 के साथ संलग्न प्रारुप पर सूचना तत्कात प्रेषित की जाए एवं सूचना की एक प्रति बैठक में भी लाएं ।
4. मनरेगा के अन्तर्गत भारत सरकार एवं राज्य सरकार से प्राप्त शिकायतों के निराकरण की स्थिति ।
5. महात्मा गांधी नरेगा के अन्तर्गत इन्टर सेक्टोरल कन्वर्जेन्स प्रगति की समीक्षा।
6. वित्तीय वर्ष 2011–12 में अद्यतन एम0आई0एस0 फीडिंग की समीक्षा।
7. आदर्श तालाबों की कमियों के दृष्टिगत तकनीकी अधिकारियों द्वारा सत्यापन/ निरीक्षण किये जाने जाने की प्रगति एवं पायी गयी कमियों को दूर करने की स्थिति। जलभराव की प्रगति की समीक्षा।
8. नेशनल लेविल मानीटर की रिपोर्ट पर अनुपालन की समीक्षा।
9. शिकायतों के निस्तारण के सम्बन्ध में समीक्षा।
10. मनरेगा से सम्बन्धित दिनांक *08–11–2011 तक* upregs@yahoo.co.in पर ई–मेल के माध्यम से प्रेषित की जायेगी।
11. ग्रामीण आवासीय योजना परिवारों प्रथम एवं किश्त निर्गत करने की समीक्षा।
12. महामाया आवास याजनान्तर्गत दैवी आपदा हेतु आरक्षित धनराशि के आवंटन हेतु अभी तक 19 जनपदों मैनपुरी, अलीगढ़, कांशीराम नगर, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बागपत, बुलन्दशहर, मिर्जापुर, बलिया, महराजगंज,मुरादाबाद, इटावा, कन्नौज, झांसी, जालौन, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी, जौनपुर, छत्रपति साहूजी महराज नगर, के प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं, ये जनपद वांछित प्रस्ताव बैठक में मुख्य विकास अधिकारी साथ लेकर आयें।
13. 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पी0ए0सी0 प्रस्तर विधान मंण्डल क्षेत्र, विकास निधि की अनुपालन आख्या 18 जनपदों आगरा, इलाहाबाद, बरेली, बुलन्दशहर, चन्दौली, एटा, गोरखपुर, झांसी,लखनऊ,मथुरा, मऊ, मेरठ, मुजफ्फर नगर, सहारनपुर, सोनभद्र, श्रावस्ती, उन्नाव एवं वाराणसी में से मात्र 03 जनपदों सहारनपुर, बुलन्दशहर, मेरठ से प्राप्त हुई है। शेष जनपद अनुपालन आख्या बैठक में प्राप्त कराना सुनिश्चित करें। इन 18 जनपदों के
14. अतिरिक्त अन्य जनपदों को भी उक्त पी0ए0सी0 प्रस्तर के प्रस्तर 2.1.5.1 का उत्तर मुख्य विकास अधिकारी बैठक में साथ लायें।

आप सभी से अपेक्षा है कि समीक्षा हेतु कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग द्वारा ग्राम्य विकास के निर्धारित संशोधित प्रारुपों पर प्रगति सूचनाएं *प्रत्येक दशा में 08–11–2011 तक अनिवार्य रुप से संयुक्त विकास आयुक्त द्वारा ई–मेल के माध्यम* से उपलब्ध करायी जायेगी। प्राथमिकता कार्यक्रमों के अतिरिक्त अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रमों की प्रगति रिपोर्ट रुरलसाफ्ट पर दिनांक 08–11–2011 तक अनिवार्य रूप से अद्यतन कर दी जाएं।

भवदीय,

(अनुराग यादव),
अपर आयुक्त,
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

पत्रांक– 321 /बैठक सेल(मु0)/2011,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 शासन को प्रमुख सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3. महानिदेशक, पं0 दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ।
4. आयुक्त, आवास विकास परिषद, उत्तर प्रदेश।
5. आयुक्त, ग्रामीण आवास परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. अपर आयुक्त(मनरेगा),ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त विशेष सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 शासन।
8. प्रबन्ध निदेशक, जल निगम, उत्तर प्रदेश।
9. प्रबन्ध निदेशक, समाज कल्याण निर्माण निगम, लेखराज मार्केट, लखनऊ।
10. अपर आयुक्त(प्रशासन/लेखा/कार्यक्रम), ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
11. समस्त वरिष्ठ उपायुक्त/उपायुक्त/योजनाधिकारी, ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
12. प्रकाशन अधिकारी, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
13. सूचनाधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
14. अधीक्षक, स्था0–3 अनुभाग को इस आशय से प्रेषित कि बैठक की कार्यवाही नोट करने हेतु दो आशुलिपिकों, दो सहयोगियों एवं बुकलेट बाइन्ड करने हेतु डिस्पैच प्रभारी को भी निर्देशित करने का कष्ट करें।
15. नाजिर, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि पूर्व की भांति उक्त बैठक की समस्त व्यवस्था सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

(अनुराग यादव),
अपर आयुक्त,
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।